न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मूलचन्द लूणिया आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
29/23	08.02.2023	15.05.2024

उनवान

1. अतरू पुत्र श्री सुभान खां।
2. मुंशीराम पुत्र सुभान खां जाति फकीर निवासीयान चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर। :–प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0

उपस्थितिः– 1. वादीगण की ओर से श्री दमन कुमार यादव वकील।
2. प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार।

निर्णय पर्चा डिक्री

दावा वादी अन्तर्गत धारा 88,89,188राज0 काश्त0 अधिनियम बाबत आराजी ख0न0 748 रकबा 0.7000हे0,का 45/70 भाग, 749 रकबा 0.6500 हे0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशगनढबास जिला अलवर रिकार्ड से सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा वादी स्वयं वहन करेगा । पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मूलचन्द लूणिया आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
29/23	08.02.2023	15.05.2024

उनवान

1. अतरू पुत्र श्री सुभान खां।
2. मुंशीराम पुत्र सुभान खां जाति फकीर निवासीयान चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0। :–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर। :–प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक, इन्द्राज दुरूस्ती मय हुक्मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज0

उपस्थितिः– 1. वादीगण की ओर से श्री दमन कुमार यादव वकील।
2. प्रतिवादी की ओर से जवाब सरकार।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । दावें के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–आराजी खसरा सं0 748 रकबा 0.7000हे0 का 45/70 भाग, 749 रकबा 0.6500हे0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला अलवर पैमूद हुये, जो आराजी प्रस्तुत वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी सं0 2075–2078 संलग्न वादपत्र है।

विवादित आराजी खसरा संख्या 748 रकबा 0.7000हे0 का 45/70 भाग, 749 रकबा 0.6500हे0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला अलवर हम वादीगण के पिता सुभान खां पुत्र राजमल जाति फकीर निवासी चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला अलवर की कब्ज काश्त खातेदारी की आराजी है जो उसकी स्वअर्जित आराजी है जिसका सनद पट्टा नं0 5/2010 दिनांक 14.05.2010 को सरकारी कीमत जमा कराकर कार्यालय तहसीलदार किशनगढबास से सुभान खां द्वारा प्राप्त की हुई थी।

सुभान खां पुत्र राजमल जाति फकीर निवासी चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला अलवर ने विवादित आराजी खसरा संख्या 748 रकबा 0.7000हे0 का 45/70 भाग, 749 रकबा 0.6500हे0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चोरबसई की वसीयत अपने जीवनकाल में दिनांक 16.08.2019 को हम वादीगण के हक में ग्वाहान की मौजूदगी में तहरीर व तकमील कराकर अपने अंगूठा निशानी कर नोटेरी से तस्दीक कराकर तकमील करायी।

उसके बाद हम वादीगण के पिता सुभान खां की मृत्यु हो गई तथा वसीयत वकू में आ गई है तथा हम वादीगण विवादित आराजी पर अपने पिता सुभान खां के जीवनकाल में

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

तथा उनकी मृत्यु के बाद विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

हम वादीगण विवादित आराजी खसरा सं0 748 रकबा 0.7000हे0 का 45/70 भाग, 749 रकबा 0.6500हे0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है अब हम वादीगण के पिता की मृत्यु हो चुकी है जिस पर हम वादीगण ने प्रतिवादी से वसीयत के आधार पर हमारा नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व मंजूर करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण पहले तो हम वादीगण को वसीयत के आधार पर हमारा नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व मंजूर करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण पहले तो हम वादीगण को वसीयत के आधार पर हमारे नाम इन्द्राज करने का विश्वास दिलाते रहे लेकिन दिनांक 06.02.2023 को हमारे नाम इन्द्राज करने से साफ इंकार कर दिया तथा न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने बाबत् कहा, जिस पर अविलम्ब ही वादपत्र दायर करना लाजिम आया है।

मिन वादीगण ने प्रतिवादी से दिनांक 06.02.2023 को खातेदार दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी भूमिधारी ने इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण को खातेदार दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथा न्यायालय श्रीमान से आदेश लाने बाबत कहा, जिससे दावा हाजा के बिनायदावी व बिनायमुखासमत उत्पन्न होकर दावा हाजा साधाधतया अन्दर अवधि पेश है।

अतः दावा प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावेः—

अ— डिकी इश्तकरारहक मशवरे इसके कि विवादित आराजी खसरा संख्या 748 रकबा 0.7000हे0 का 45/70 भाग, 749 रकबा 0.6500हे0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास का वसीयतनामा दिनांक 16.08.2019 के आधार पर हम वादीगण को काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाकर दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे।

ब— डिकी इन्द्राज दुरूस्ती इस अमर कि पारित की जावे कि विवादित आराजी खसरा सं0 748 रकबा 0.7000हे0 का 45/70 भाग, 749 रकबा 0.6500हे0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशनगढबास के राजस्व रिकार्ड में जो अंकन सुभान खां पुत्र राजमल जाति फकीर नि0 चोरबसई का हो रहा है वसीयतनामा के हक तक हटाया जाकर वादीगण के नाम का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावें।

स— खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

द— दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहके वादीगण बख्सी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी जवाब पैरोकार ने जवाब पेश किया कि वाद मे वादी स्वयं सिद्ध करे राजहित प्रभावित नही है। बाद जवाब पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य मे स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू —1, जाकिर पुत्र श्री कमरूदीन पीडब्लू—2, मुन्शी पुत्र सुभान खां पीडब्लू—3, भोला खां पुत्र फजरू पीडब्लू—4 पेश किये गयें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल—तिजारा)

दस्तावेजी साक्ष्य मे वादीया ने प्रदर्श–1 व प्रदर्श–2 हाल जमाबंदी संवत् 2075–78, प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4 प्रमाणित प्रतिलिपि आधार कार्ड वादीगण मुंशी खान व अतरू, प्रदर्श–5ए नोटेरी प्रमाणित वसीयतनामा दिनांक 16.08.2019 जो सुभान खां पुत्र राजमल जाति फकीर निवासी चोरबसई तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0 ने अपने पुत्रो वादीगण के नाम लिखवाया था जिसका असल वसीयतनाम प्रदर्श–5 है। पेश किया है। वादी ओर साक्ष्य पेश नही करना चाहते। अतः पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश करने का निवेदन किया तथा लिखित बहस के अन्तर्गत वकील वादी ने निम्न नजीरे पेश कि है–

1. 2020 (1) डी.एन.जे. सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ सं0 145 जनेशन डी थ्रो एल आर'ज बनाम कालान्जीयम वगैरा पैरा नं0 5 व 7,8 ।
2. ए0आई0आर0–1996 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ सं0 1724 सदाशिवम बनाम के0 दुरायसामी पैरा नं0 06।

वकील वादी ने लिखित बहस पेश कर दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी की बहस शामिल पत्रावली कर बहस वादी वकील एवं हमने पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2075–78 में ख0न0 748 रकबा 0.7000 हे0 पर सुभानखां पुत्र राजमल जाति फकीर सा0 देह खातेदार तथा आराजी ख0न0 749 रकबा 0.6500 हे0 का 1/2 हिस्सा सुभानखा पुत्र राजमल जाति मेंव दर्ज है। वादी ने वसीयत कर्ता(सुभानखां) का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है और उसके द्वारा वसीयत की नोटेरी से प्रमाणित फोटो कोपी पेश की है जो प्रदर्श–5 है। तथा वादीगण द्वारा वसीयतकर्ता को तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.5.2010 को स्थाई पटटा जारी किया था जो प्रर्दश 6 है। जिससे यह तथ्य साबित होता है कि विवादित आराजी वसीयतकर्ता सुभान खां की खरीदशुद्वा आराजी नही है यह उसको अलोटशुद्वा आराजी है। जिस पर परिवार के सभी सदस्यो का बराबर हिस्सा होता है। वसीयतकर्ता ने अपने दोनो पुत्रो को ही वसीयत की है वसीयतकर्ता ने वसीयत में यह भी अंकन नही किया कि अन्य परिवार के लोगो द्वारा मेरी सेवा पानी नही कि जिससे व्यथित होकर उन्होने वादीगण के नाम वसीयत करा दी हो क्योंकि वादीगण ने यह तथ्य भी अपने वाद में शामिल नही किये की किन्ही कारणो से व्यथित होकर मृतक सुभानखां ने वादीगण के नाम वसीयत की हो।यदि सुभानखां की सैल्फ एक्वायर्ड प्रोपर्टी होती तो वह इसकी वसीयत राज0 टिनेंसी एक्ट के सैक्शन 39 के तहत कर सकता है। जब सुभानखां के दो ही पुत्र है तो वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरान्त नियमानुसार वादीगण के नाम विवादित आराजी का इंतकाल दर्ज हो जाता। वसीयत के द्वारा न्यायलय मे वाद लाने की कोई आवश्यकता नही थी रहा प्रश्न वसीयत के आधार पर वादीगण के नाम खातेदार दर्ज करने का जो क्षेत्राधिकार तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) के पास नियमानुसार आवेदन कर सुभान खां के अन्य वारिसान होने या नही होने की जांच कर इंतकाल अपने नाम कराने के अधिकारी थे। वादीगण ने इस संबध में कथन किया है कि तहसीलदार ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने बाबत इन्कार कर दिया उस तथ्य को साबित करने के लिए वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया कि तहसीलदार ने नियमानुसार कार्यवाही करने से मना कर दिया। इस केस में वसीयत मुख्य

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

मुददा है वादीगण अपने पक्ष में आराजी की वसीयत होना बताया है परन्तु वसीयतकर्ता को वसीयत करते समय **साउण्ड माइण्ड** होना आवश्यक है परन्तु इस केस में वसीयत के समय वसीयतकर्ता की उम्र लगभग 80 वर्ष थी। अतः उसे साउण्ड माइण्ड नही कहा जा सकता तथा मेव लोगो पर मुस्लिम लॉ लागू होता है। मोमडन के सैक्शन 190 पेज 464 में मुस्लिम कानून के अनुसार वसीयतकर्ता अपनी सम्पति मे से 1/3 हिस्सा से अधिक की वसीयत नही कर सकता जबकि इस केस मे वसीयतकर्ता ने समस्त रकबे की वसीयत कर दी है जो उचित नही है। वादीगण द्वारा पेश हाल राजस्व रिकार्ड में वसीयतकर्ता की विवादित आराजी में एक खसरे में जाति फकीर दर्ज तथा दूसरे रकबे पर जाति मेंव दर्ज है वसीयत रजिस्टर्ड भी नही है वसीयत संदेहाष्पद होना प्रतीत होती है इसलिए दावा काबिले खारिज है।

अतः आदेश है किः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा 88,89,188राज0 काश्त0 अधिनियम बाबत आराजी ख0न0 748 रकबा 0.7000हे0,का 45/70 भाग, 749 रकबा 0.6500 हे0 का 1/2 भाग वाके ग्राम चोरबसई तहसील किशगनढबास जिला अलवर रिकार्ड से सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा वादी स्वयं वहन करेगा । पर्चा डिक्री मुर्तब हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(खैरथल—तिजारा)